

पत्रिका को पेश हो

14/6/24

पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रकारानन्द
वादी का पत्र 09 R3 वाली में खारिज
किया जा चुका है। इसलिये अब T.I. प्रा.
पत्र का कोई आर्थिक शोध नहीं रह जाय
है इसलिये T.I. प्रा. पत्र खारिज किया
जाता है पत्रावली फैसल सुमार होकर
दर्ज नम्बर 14 कम है। आदेश सुले
जमायालय में सुनाया गया।

उपरकाद अधिकारी
साँधर लेक

